उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग

23 एलनगंज, प्रयागराज–211002

पत्रांकः 3295 /41(2026)/अधियाचन/2026–27 दिनांकः 04/नवम्बर/2026

विज्ञप्ति

आयोग के विज्ञापन संख्या–07/2026 सहायक अध्यापक (स्नातक वेतनक्रम) के अभ्यर्थियों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–1528/15–05–2026–1600(42)/2026 दिनांक 04.11.2026 द्वारा प्रदेश के मान्यता प्राप्त एवं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक (स्नातक वेतनक्रम) पद की अर्हता में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (N.C.T.E.) की अधिसूचना दिनांक 13 नवम्बर, 2019 द्वारा अधिसूचना दिनांक 23 अगस्त, 2010 के खण्ड–ख में जोडे गये परन्तुक के अनुसार शासन के पत्र संख्या–1480/15–05–2026–1600(42)/2026 दिनांक 21 अक्टूबर, 2026 के क्रम में माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 22.10.2026 तथा सरकारी गजट में तद्दिनांक को प्रकाशित इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन निर्मित परिषद विनियमों के अध्याय–दो, विनियम–1 के परिशिष्ट 'क' में सहायक अध्यापक (स्नातक वेतनक्रम) पद हेतु निर्धारित अर्हता में निम्नवत् को सम्मिलित किए जाने का निर्णय लिया हैः–

"लेकित शर्त यह है कि स्नातक स्तर पर अंकों के न्यूनतम प्रतिशत की शर्त उन पदधारियों के मामले में लागू नही होगी जिन्होने शिक्षा में स्नातक अथवा प्रारम्भिक शिक्षा में स्नातक अथवा समतुल्य पाठ्यक्रम 29 जुलाई, 2011 से पहले दाखिला ले लिया था।"

अतएव उपर्युक्त अर्हतानुसार इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित अन्तिम तिथि तक आवेदन कर सकते हैं।

(संजय कुमार सिंह)
उपसचिव